न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मा नम्बर 141 / 2014 — दायर दिनांक–16.07.2014

1. श्योकरण पुत्र चिमनाराम जाति रावणा राजपूत निवासी परसरामपुरा पुराना तहसील नवलगढ़।
2. मोहनलाल पुत्र चिमनाराम जाति रावणा राजपूत निवासी परसरामपुरा पुराना तहसील नवलगढ़।

– वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र चिमनाराम जाति रावणा राजपूत निवासी भरवाडी तन टोंकछीलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. चौथमल पुत्र चिमनाराम जाति रावणा राजपूत निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज.।
3. रामकुवार पुत्री चिमनाराम जाति रावणा राजपूत निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज.।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रति. नं. :– श्री अमर सिंह शेखावत

दावा : विभाजन रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28–07–2022

वाद वादी दिनांक 14–03–2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./901 दिनांक 27.04.2022 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव उभय पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई। फलस्वरूप वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम भरवाडी की भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 0.95 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	श्योकरण पिता चिमनाराम जाति झींवर साकिन परसरामपुरा खातेदार	97 / 2	0.19	बारानी II
2	चौथमल पुत्र चिमनाराम जाति झींवर साकिन परसरामपुरा खातेदार काश्तकार	97 / 1	0.19	बारानी II
3	किशन लाल पुत्र चिमनाराम जाति [illegible] साकिन परसरामपुरा खातेदार काश्तकार	97 / [illegible]	0.19	बारानी II
4	मोहनलाल पुत्र चिमनाराम जाति झींवर साकिन परसरामपुरा खातेदार काश्तकार	97 / 4	0.19	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

5	रामनिवास, योगेश कुमार, मनोहर पिता रामकुमार हिस्सा 3/6, ऊषा, कंवरी पुत्रियां रामकुवार हिस्सा 2/6, बिमला देवी पत्नी स्व. रामकुमार हिस्सा 1/6 जाति झींवर साकिन परसरामपुरा खातेदार काश्तकार	97/5	0.19	बारानी II

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

23

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)नवलगढ़

मुकदमा नम्बर 141/2014

दावा : विभाजन रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

(श्योकरण बनाम किशनलाल आदि)

अन्तिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब - मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **28.07.2022** निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम भरवाड़ी की भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 0.95 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.स.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	श्योकरण पिता चिमनाराम जाति झींवर साकिन परसरामपुरा खातेदार	97/2	0.19	बारानी II
2	चौथमल पुत्र चिमनाराम जाति झींवर साकिन परसरामपुरा खातेदार काश्तकार	97/1	0.19	बारानी II
3	किशन लाल पुत्र चिमनाराम जाति झींवर साकिन परसरामपुरा खातेदार काश्तकार	97/3	0.19	बारानी II
4	मोहनलाल पुत्र चिमनाराम जाति झींवर साकिन परसरामपुरा खातेदार काश्तकार	97/4	0.19	बारानी II
5	रामनिवास, योगेश कुमार, मनोहर पिता रामकुमार हिस्सा 3/6, ऊषा, कंवरी पुत्रियां रामकुवार हिस्सा 2/6, बिमला देवी पत्नी स्व. रामकुमार हिस्सा 1/6 जाति झींवर साकिन परसरामपुरा खातेदार काश्तकार	97/5	0.19	बारानी II

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप खसरा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बशख्स मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.07.20[illegible] ... की गई।

(दमयंती कंवर) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

24

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अ0) नवलगढ़

क्रमांक -भू0 अ0/ 901 दिनांक 27.04.22

सेवा में

श्रीमान ~~उपखण्ड अधिकारी~~ ACEM महोदय
(FT) नवलगढ़।

विषय-न्यायालय प्रकरण संख्या 141/2014 उनवानी श्योकरण बनाम किशनलाल आदि
पत्थरगढ़ी व विभाजन प्रस्ताव बाबत।

प्रसंग- आदेश क्रमांक/भू0अ0/ .... दिनांक ....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मु0न0 141/2014 का आदेशानुसार विभाजन करवाकर विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में प्राप्त कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही बाबत प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसीलदार
नवलगढ़
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

27

L.R.
[signature]
27/04/22

25

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं भगवान सहाय ....(नाम) तहसीलदार नवलगढ़ न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ के आदेश कमांक T.D.R. 671 दिनांक 29.3.2022 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 25-4.2022 समय 11:00 A.M. बजे आराजी खसरा नम्बर- 97 वाके ग्राम भरकड़ी पटवार हल्का [illegible] पर श्री [illegible] नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 141/2014 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1	श्योकरण	चिमनाराम	45	[illegible]	वादी
2	मोहनलाल	-"-	72	-"-	-"-
3	चौथमल	-"-	62	-"-	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम [illegible] के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये :-

(1) श्योकरण पि. चिमनाराम जाति [illegible] [illegible] खातेदार — [illegible] — [illegible] — बारा II

(2) चौथमल पुत्र चिमनाराम जाति [illegible] [illegible] खातेदार — 97/2 — 0.19 — बारा I

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

———— x ———— x ————

(3) किशन लाल पुत्र धिमनाराम
जाति मीणा साकिन पवनराजपुरा
काश्तकार
97/3 — 0.19 का[illegible]

(4) मोहन लाल पुत्र धिमनाराम
जाति मीणा साकिन पवनराजपुरा
काश्तकार
97/4 — 0.19 का[illegible]

(5) रामनिवास, नरेन्द्रकुमार
मनोहर पिता रामकुमार
हि. 3/6 अंश, कंवरी पुत्री
रामकुमार हि. 1/6 विमला देवी
पत्नि स्व. रामकुमार हि. 1/6
जाति मीणा साकिन पवनराजपुरा
काश्तकार
97/5 — 0.19 का[illegible]

Note — वर्तमान जमाबन्दी में सुरजी पत्नि स्व. धिमनाराम
दर्ज है। जो फौत हो चुकी है। मौके पर उक्त किता[illegible]
नेमी के शामिल है। जो प्रचलित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

26

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1	प्रतीकराज	मि मनाराम	माणगराजपूत	[illegible]	वादी
2	मोहनलाल	—"—	—"—	[illegible]	वादी
3.	योगेश्वर	पि रामकुमार	—"—		प्रतिवादी
4.	चांदमल	मि मिश्रीराम	—"—	[illegible]	

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
—	—	—	—	—	—

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..
1.	नरेन्द्रसिंह	मोहनलाल	3[illegible]	[illegible]	9694321073 नरेन्द्रसिंह
2.	मनोहरलाल	पि० रामकुमार	26	—"—	[illegible]248

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार आज दिनांक 25-4-2022 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर पटवारी 25/4/22 हस्ताक्षर भू. अ. निरीक्षक 25-4-2022 हस्ताक्षर ना. तह. हस्ताक्षर तहसीलदार तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़

ग्राम - भेरवास
तह. - नवलगढ़

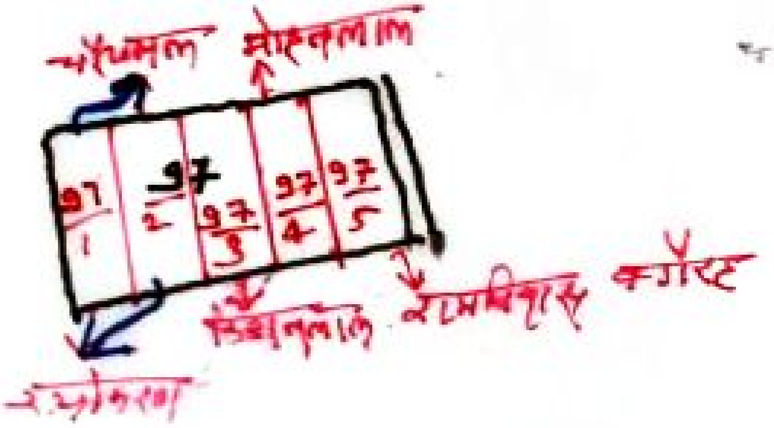

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

29

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

नाम :- भरवाड़ी

हल्का :- टौंकछिलरी

भू.नि. :- चिराना

:- नवलगढ़

:- झुंझुनू

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 142

खाता संख्या पुराना :- 133

खातेदार का नाम:-

...पुत्री रामकुवार हिस्सा- 1/36 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार

...पुत्री रामकुवार हिस्सा- 1/36 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार

किशनलाल पुत्र चिमनाराम हिस्सा- 1/6 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार

...पुत्र चिमनाराम हिस्सा- 1/6 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार

5. विमलादेवी पत्नि स्व. रामकुवार हिस्सा- 1/36 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार

6. मनोहर पुत्र रामकुवार हिस्सा- 1/36 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार

7. मोहनलाल पुत्र चिमनाराम हिस्सा- 1/6 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार

8. योगेशकुमार पुत्र रामकुवार हिस्सा- 1/36 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार

9. रामनिवास पुत्र रामकुवार हिस्सा- 1/36 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार

10. श्योकरण पुत्र चिमनाराम हिस्सा- 1/6 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार

11. सुरजी पत्नि चिमनाराम हिस्सा- 1/6 जाति- झीवर सा. परसरामपुरा खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
97	0.9500	बारानी 2	0.9500	2.94		स्वीकृत नामांतरकरण : 850 09/12/2020 विरासत	
कुल खसरे - 1	0.9500		0.9500	2.9400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 25-Apr-2022

NIC

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested